


<p>OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER CGST, CUSTOMS & CENTRAL EXCISE NEW GST BHAWAN 35 - C, ADMINISTRATIVE AREA ARERA HILLS, BHOPAL PHONE: 0755- 2553401, 2551771 FAX: 0755- 2557816 EMAIL: ciu-cgstbpl@gov.in Website: www.cexbhopal.gov.in</p>		<p>कार्यालय प्रधान आयुक्त सीजीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क न्यू जीएसटी भवन 35- सी, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष: 0755- 2553401, 2551771 फैक्स: 0755- 2557816 ईमेल: ciu-cgstbpl@gov.in वेबसाइट: www.cexbhopal.gov.in</p>
---	---	---

स्थापना आदेश क्र./ Establishment order No. 32/2019

दिनांक / Dated : 04.10.2019

सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय भोपाल तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में निरीक्षक के ग्रेड पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एतद्वारा स्थानांतरण और तैनाती का आदेश दिया जाता है / The following transfer and posting in the grade of Inspector, CGST & Central Excise Commissionerate, Bhopal and its subordinate formations is hereby ordered with immediate effect until further orders:-

Sr. No./ क्र.सं	Name of the Officer(s) अधिकारी का नाम Sh/Smt. श्री / श्रीमती	From/कहाँ से	To/कहाँ पर
1	पदुम सिंह Padum Singh	भोपाल आयुक्तालय में पदस्थापना के आदेशानुसार UOP to Bhopal Commissionerate	रेंज- सीहोर, भोपाल- IV Range- Sehore, Bhopal- IV
2	विकाश रवीश Vikash Ravish	तकनीकी शाखा, भोपाल- III Technical Branch, Bhopal- III	रेंज- II, मंडीदीप, भोपाल- III (आर.सी.टी.आई) एतद्वारा 22.11.2019 तक, तत्पश्चात ऑडिट सेल, मुख्यालय भोपाल Range- II, Mandideep, Bhopal- III (RCTI) with immediate effect till 22.11.2019. Thereafter, Audit Cell, Hqrs. Bhopal
3	राजेंद्र कुमार बैरवा Rajendra Kumar Bairwa	रेंज- सीहोर, भोपाल- IV में पदस्थापना के आदेशानुसार UOP to Range- Sehore, Bhopal- IV	तकनीकी शाखा, भोपाल- III Technical Branch, Bhopal- III

2. स्थानान्तरण/क्रमावर्तन (स्थान परिवर्तन) किए जाने वाले आदेश के तहत सभी अधिकारी अपनी तैनाती के स्थान से कार्यभारमुक्ति के समय तथा नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते समय समुचित रूप से अपना प्रभार सौंपेंगे और ग्रहण करेंगे। सभी तत्काल प्रकृति के तथा समयबद्ध मामलों की सूची तैयार की जानी चाहिए तथा उसकी एक प्रति कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए। डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं.13024/01/2014-टीआरजी (टीआरजी.संदर्भ, दिनांक 26.09.2014 के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य का नोट तैयार किया जाना चाहिए और कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए / The officers under order of transfer/rotation should hand over and take over the charges properly at the time of relieving and joining from their place of posting. The list of all urgent and time bound matters, should be prepared and copy of the same be handed over to the officer taking over the charges. Note of important work be prepared as per DoPT Office Memorandum No. 13024/01/2014-Trg. (Trg. Ref) dated 26.09.2014 and handed over to the successor.


3. ऐसे मामले में जहाँ किसी अधिकारी के बिना कोई प्रभार किसी को नहीं दिया गया है, उस क्षेत्र के प्रभारी सहायक/उप आयुक्त उसे वर्तमान अधिकारी को आबंटित करें, ताकि कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। ऊपर उल्लिखित सभी अधिकारी अपनी तैनाती के नये स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें। अपनी तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण से पूर्व उनके किसी भी अभ्यावेदन, चाहे जो कुछ भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा / In the case any charge is left unattended without any officer, the jurisdictional Assistant/ Deputy Commissioner may allocate the same to the existing officer for smooth functioning of the office. All officers mentioned above must join at their new place of posting immediately. No representation whatsoever shall be entertained before they join at their new place of posting.

4. सहायक/ उप आयुक्तों को निदेश दिया जाता है की वे अधिकारियों को तत्काल भारमुक्त करें, ताकि वे अपनी तैनाती वाले नये स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें / The Assistant/Deputy Commissioners are directed to relieve the officers immediately to enable them to join their new place of posting.

5. प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल के अनुमोदन से जारी / This issues with the approval of the Principal Commissioner, CGST and Central Excise, Bhopal.

प्रति/Copy To,

उपरोक्त अधिकारी/The Individual



मनोज कुमार/ Manoj Kumar

संयुक्त आयुक्त (का/स) /Joint Commissioner (P&V)